

E-TENDER DOCUMENT

TO

**PROVIDING SECURITY GURADS AT SRIGANGANAGAR
ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.
HANUMANGARH**

TENDER ID No.:

**SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,
Industrial Area, Hanumangarh Junction-335512**

Tele No. 01552-260522

Email id . gngmu-rj@nic.in

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ डेयरी
 श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि
 इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ जंक्शन
 Tele No. 01552-260735,260522

क्रमांक: गंगमूल/पीएण्डए/2024/3743-48

दिनांक:-25.07.2024

ई-निविदा सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., हनुमानगढ एवं सम्बन्धित दुग्ध अवशीतन केन्द्रों सूरतगढ/नोहर/पदमपुर/घडसाना/भादरा/पल्लू/श्री गंगानगर हेतु सुरक्षा व्यवस्था के लिये सुरक्षा कर्मियों की दो वर्ष के लिए डिजीटल हस्ताक्षर युक्त ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाईन (इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप में) निविदाये वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिये गये निर्देशानुसार अपलोड कर सकते है। विस्तृत निविदा संघ की वेबसाइट www.sriganganagarmilkunion.com पर देखी जा सकती है।


 (उग्रसेन सहारण)
 प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि-

1. संपादक को भेजकर लेख है कि आप उक्त निविदा सूचना को अपने समाचार पत्र में शीघ्रातिशीघ्र एक बार संघ के Logo सहित प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्रबन्धक प्रणाली, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि०, जयपुर।
3. प्रभारी (संयंत्र/पीएण्डए/लेखा)
4. अतिरिक्त निजी सचिव।
5. प्रभारी एमआईएस - कृपया संघ की वेबसाइट पर अपलोड करवायें।
6. नोटिस बोर्ड।


 प्रबन्ध संचालक




श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ डेयरी
गंगमूल डेयरी
इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ जंक्शन
Tele No. 01552-260735,260522

क्रमांक: गंगमूल/पीएण्डए/2024/3743-48

दिनांक:-25.07.2024

ई-निविदा सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., हनुमानगढ एवं सम्बन्धित दुग्ध अवशीतन केन्द्रों सूरतगढ/नोहर/पदमपुर/घड़साना/भादरा/पल्लू हेतु सुरक्षा व्यवस्था के लिये सुरक्षा कर्मियों की दो वर्ष के लिए डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाईन (इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप में) निविदाये वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिये गये निर्देशानुसार डाउनलोड कर दिनांक 06.08.2024 सायं 05.00 पी.एम. तक अपलोड कर सकते है। निर्देशानुसार अमानत राशि (रु. 3,00,000/- श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ के नाम डी.डी. के रूप में) /निविदा प्रपत्र मूल्य (रु. 1180/- श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ के नाम डी.डी./आरटीजीएस के रूप में) तथा निविदा प्रोसेसिंग फीस (रु. 2000/- **MD, RISL, Jaipur** के नाम डी.डी./आरटीजीएस के रूप में) संघ पीएण्डए कार्यालय में जमा करवानी होगी अन्यथा जमा नहीं करवाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। निविदा प्रपत्र दो भागो में है। जो निविदादाता प्रथम भाग में सफल रहेगा, उन्ही निविदादाताओ द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र के द्वितीय भाग को खोला जावेगा। किसी भी ई-निविदा प्रपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के पास सुरक्षित है।


(उग्रसेन सहारण)
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि-

1. प्रबन्धक प्रणाली, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि०, जयपुर।
2. प्रभारी (संयंत्र/पीएण्डए/लेखा)
3. अतिरिक्त निजी सचिव।
4. प्रभारी एमआईएस - कृपया संघ की वेबसाइट पर अपलोड करवायें।
5. नोटिस बोर्ड।


प्रबन्ध संचालक



**SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,
HANUMANGARH JN**

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOCUMENTS

1. The bidders who are interested in bidding can download tender documents from <http://eproc.rajasthan.gov.in>
2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in>, To participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safe crypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate.

Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, CScheme, Jaipur

3. Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal, however D.D. for Tender fees, Processing Fees and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of technical bids and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.
4. Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.
5. The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.
6. If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1st Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.
Help Desk MOBILE:+91-7878007972, +91-7878007973, or 180030702232
"Toll free, 24X7 E-mail- eproc@rajasthan.gov.in
7. Tender Form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box,
8. Please read carefully the steps of submitting Tender online.
9. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Downloads"



Important Date and Time

S.No.	Particulars	Date/Time
1.	Date & time of Uploading tender form by Sriganganagar Milk Union	26.07.24 At 6.00 PM
2.	Date & time of start of Uploading tender by tenderer	26.07.24 At 6.00 PM
3.	Last Date & time of Uploading tender by tenderer	16.08.24 At 05.00 PM
4.	Last Date & time submission of :-	
	<i>I</i> EMD Rs. 300000/- by DD / RTGS in the name of Sriganganagar Zila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd	16.08.24 At 02.00 PM at Gangmul office
	<i>II</i> Tender form fee Rs. 1180/- by DD /RTGS in the name of Sriganganagar Zila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd	16.08.24 At 02.00 PM at Gangmul office
	<i>III</i> E-tender processing fee Rs. 2000/- by DD / RTGS in the name of MD, RISL., Jaipur	16.08.24 At 02.00 PM at Gangmul office
5	Stamp Paper submit of page no. 15, 16 & 17	16.08.24 At 02.00 PM at Gangmul office
6	Date & time of opening of technical-bid	17.08.24 At 11.00 AM
7	Date and time of opening of financial bid	To be later

Name of Bank :- Punjab National Bank

Branch :- KUMS Branch Hanumangarh Jn.

IFSC code :- PUNB0117510

Current A/C no. :- 51131010000010

UTR no./Ref no. to up load with tender form & information to send through email

Shik *10/22* *nor*

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,

Industrial Area, Hanumangarh Junction-335512

Tele No. 01552-260735,260522 Fax no.- 01552-262847

E-mail : gngmu-rj@nic.in

INDEX

S.No.	Particulars	PAGE NO.
1.	NIT	2-3
2.	Instructions for submission of e-tender form & documents	4
3.	Important date & time	5
4.	Index	6
5.	Statutory requirement	7
6.	Check list of documents to be submitted & Technical Qualification	9
7.	General terms & conditions & Affidavit performa	10 To 17
8.	BOQ	18

Sub *1000* *ng*

SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,
Industrial Area, Hanumangarh Junction-335512
Tele No. 01552-260522
E-mail : gngmu-rj@nic.in

Part 1
Technical Bid

Tender Form

SUBJECT:- TWO YEAR RATE CONTRACT FOR PROVIDING SECURITY GUARDS AT SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTAPADAK SAHAKARI SANGH LTD, HANUMANGARH

TENDER PROCESSING FEES Rs. 2000/-(Two Thousand Only) by DD/RTGS in the name of MD,RISL,JAIPUR

TENDER FORM FEES With GST:- Rs. 1180/-(One Thousand One Hundred Eighty Only) by DD/RTGS in the name of SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., Hanumangarh

EMD:- Rs 300000/-(Three Lac Only) by DD/RTGS in the name of SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., Hanumangarh

1. Name & Full Address of the Firm

: _____
 Submitting the tender (in Block Letters)

: _____

Landline Phone No. _____ Mobile No. _____

E-mail id: _____

Passport Size
Photograph

2. Name & Address of Authorized Contact Person

: _____

Mobile No. of Authorized Contact Person : _____

E-mail of Authorized Contact Person : _____

3. Addressed to

:The Managing Director,

Sriganganagar ZDUSS Ltd.,

Industrial Area,

Hanumangarh Junction

4. Income Tax PAN No.(PHOTO COPY)

: _____

5. GST No. (PHOTO COPY)

: _____

6. Aadhaar Card No. (PHOTO COPY)

: _____

7. PF No. (PHOTO COPY)

: _____

8. ESI No. (PHOTO COPY)

: _____

9. Experience Certificate(PHOTO COPY)

: _____

(Handwritten signatures)

10. Registration no of Contract Labour License (PHOTO COPY): _____

(if not registered than submit before first payment bill)

11. License to Engage in the business of Private Security Agency: _____

(PHOTO COPY)

12. Income Tax Return (Last two years photocopy) : _____

13. RTGS/NEFT Details:

a.) Beneficiary Bank Name & Address : _____

b.) Beneficiary Bank IFSC Code : _____

Party Name & Address : _____

c.) Party Bank A/C No. : _____

14. Name and Address of owner /Partner/Director : _____

(Designation and status in the firm) along : _____

with E-mail id, Address proof, ID proof)

15. A self attested photocopy of power of attorney issued by Owner/All partners/Directors in favour of nomination person to sign and execute the tender/contract.

16. I/WE agree to abide by all the terms & conditions mentioned in the Tender Notice issued by Managing Director, SGNR ZDUSS Ltd., Hanumangarh and the other conditions annexed with the tender form, all the pages of Which have been signed by me/us in token of my/our Acceptance of the terms and conditions mentioned therein.

17. Details of fee deposited offline in physical form in the office of Managing Director

	Amount	DD no./CR no.	Dated
a. Tender form fee	Rs. 1180/-	_____	_____
b. EMD	Rs. 3,00,000/-	_____	_____
c. Tender processing fee	Rs. 2000/-	_____	_____

18. Wages Rates:-

PARTICULARS	RATE	Approx. No.
1. Securty Guard (Civilian)	309/- Rs. Per Day	43
2. Securty Guard (Ex-serviceman)	500/- Rs. Per Day	04
3. Securty Supervisor/ Asst. Securty Supervisor	As per Rexco/ Sainik Kalyan Board	05

Note:- राज्य/केन्द्र सरकार/रेक्सको/सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन होने की दशा में संघ संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत दिनांक से बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार दर संशोधित की जा सकेगी।

Sub

W. S.

W. S.


POINTS TO BE CONSIDERED FOR TECHNICAL QUALIFICATION:

- 1) RTGS/ DD of EMD & Tender fee MUST be submitted in time without which tender form will not be accepted.
- 2) Tenderers having any case pending against Sriganaganagar Milk Union or its officers/ employees (pertaining to working of Dairy) will not be accepted.
- 3) Tenderers having any case against them by Sriganaganagar Milk Union shall be rejected
- 4) Rates are to be quoted only in prescribed format.
- 5) Tenderers who have been blacklisted/ termination of agreement in past by GANGMUL or any other RCDF milk union shall not be considered for this tender
- 6) Tenderers having any financial dealing with any of the employees of milk union as on date of submission of tender shall not be considered
- 7) Tender of any of the officer/ employee/ board member or their blood relatives (as per Hindu family act) will not be accepted.
- 8) Tender of any insolvent/ adolescent/ mentally retarded firm/ person shall not be accepted. Tenders of any person/ firm working in same / **similar competitive business will not be accepted.**
- 9) The tenderer /security agency will be required to attach/upload bank standing certificate of at least 15.00 lakh. In its absence the financial part of the tender will not be opened.

A check list of documents required to be submitted

(Each Tenderer is required to attached copies of following documents failing which the tender will become liable for no further consideration/evaluation)

Sr. No	Particulars	Cover
1.	Duly filled tender form with signature on each page/copy	Cover-A
2.	Copy of PAN Card, GST No., Registration no. of Security, labour license	Cover-A
4.	Documents of authorized contact person / firm (as per above point Number 1 & 2.	Cover-A
5.	DD/RTGS Details OF Tender Fee/EMD/Processing Fee	Cover -A
6.	Compiled experience details related with security work only (copy of work orders also to be attached)	Cover -A
7.	RTGS/NEFT Details	Cover -A
8.	Bank standing certificate of 15.00 lakh.	Cover -A
9.	All other documents as required as per tender condition	Cover -A



श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ जंक्शन
निविदा भरते समय शर्तें

1. निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी के पास सहकारी डेयरी अथवा वृहद औद्योगिक ईकाई/फैक्ट्री अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि में न्यूनतम 40 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने का विगत 05 वर्षों में न्यूनतम 02 वर्ष का कार्य-अनुभव होना आवश्यक है। जिसके अभाव में निविदा का पार्ट बी नहीं खोला जायेगा।
2. निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी को श्रम अधिनियम के तहत नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक है तथा निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी के पास प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी चलाने का वैध प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
3. निविदादाता द्वारा गत दो वर्ष की आयकर विवरणी/आईटीआर निविदा फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। उक्त के अभाव में निविदा का पार्ट बी नहीं खोला जायेगा।
4. दरें शुन्य अथवा शुन्य से कम (जीएसटी अतिरिक्त) होने पर स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा दर दशमलव के बाद दो अंको तक ही मान्य होगी। समान दर प्राप्त होने पर कमेटी/प्रबन्ध संचालक का निर्णय सर्वमान्य होगा। जिसमें किसी भी निविदादाता को आपति नहीं होगी।
5. दरे देने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं समस्त पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद ही निविदा अपलोड करें।
6. निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व संघ कार्यालय में रूपयें 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) बतोर अमानत राशि श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० के पक्ष में डीडी बना कर जमा करवाना होगा। बिना अमानत राशि के टैण्डर खोला नहीं जावेगा।
7. निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी का श्रम विभाग का पंजीयन ठेका श्रम अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा भविष्य निधि व ईएसआई का रजिस्ट्रेशन कोड नम्बर होना अनिवार्य है। भविष्य निधि व ईएसआई के पंजीकरण के दस्तावेजों की फोटो प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। जीएसटी की दरों में संशोधन पर देय सर्विस चार्ज की दर को उसी अनुरूप संशोधित किया जा सकेगा।
8. श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ/अन्य सहकारी डेयरी व अन्य विभाग के काली सूची में निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
9. स्वीकृत निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी द्वारा निर्धारित समय पर ठेका प्रारम्भ न करने पर उसकी अमानत/धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी एवं ठेका किसी अन्य को दिया जा सकेगा तथा सुरक्षा एजेन्सी का नाम काली सूची में डाल दिया जावेगा।
10. स्वीकृत निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 500/- रूपये के नोन जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ के साथ अनुबन्ध करना होगा।
11. निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र, पी०एफ०, ई०एस०आई० नं०, पेन नं०, जीएसटी नं०, स्वयं का होना आवश्यक है। जिनके अभाव में ठेका दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
12. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रूपयें 5,00,000/- (रूपयें पांच लाख) की बैंक गारन्टी 30 माह के लिए वैध हो व किसी भी नेशनल बैंक की हो, संघ के नाम पर जमा करवानी होगी। अमानत राशि रूपये 3,00,000/- के समायोजन के पश्चात कुल धरोहर राशि 8,00,000 लाख रूपये होगी। संघ में जमा करवाई गई धरोहर राशि/अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
13. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ को होगा।
14. किसी भी शर्त में पूर्ण या आंशिक संशोधन करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक संघ के पास सुरक्षित रहेगा। निविदादाता की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
15. संघ में वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु अनुबन्धित किसी भी ठेकेदार को सिक्यूरिटी सर्विसेज का ठेका नहीं दिया जा सकेगा।
16. निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी को कम से कम रूपये 15.00 लाख का बैंक हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में निविदादाता का वित्तीय भाग नहीं खोला जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(Handwritten signatures)

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ जंक्शन
कार्य संबंधी शर्तें

1. अनुबन्ध की अवधि दो वर्ष के लिये मान्य होगी। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि संघ को आवश्यकता हुई तो अनुबन्ध को इसी दर पर व शर्तों पर प्रबन्ध संचालक श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ द्वारा आगामी तीन माह या नया टैण्डर होने तक जो भी पहले हो तक के लिये और बढ़ाया जा सकता है जो निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगा।
2. सर्विस चार्ज की दर प्रस्तुत करनी होगी एवं उस पर जीएसटी नियमानुसार देय होगा। जीएसटी जमा के चालान की सत्यापित प्रति संघ में जमा करवानी होगी। जिसके अभाव में बिल का भुगतान देय नहीं होगा।
3. सुरक्षा एजेन्सी को संघ में कार्यरत सुरक्षाकर्मियों का पीएफ चालान अलग से जमा कराना होगा अन्य संस्था के सुरक्षाकर्मियों के साथ जमा चालान स्वीकृत नहीं होगा साथ ही सुरक्षा एजेन्सी को यह सुनिश्चित करना होगा कि संघ में कार्यरत सुरक्षाकर्मियों के अलावा अन्य किसी श्रमिक का नाम मजदुरी भुगतान शीट/चालान में नहीं आवे। प्रतिमाह ईएसआई एवं पीएफ चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर कुल मजदुरी राशि पर नियमानुसार वास्तविक जमा राशि का निम्न प्रकार पुनर्भरण किया जावेगा जो कि जमा राशि कभी भी अधिक नहीं होगा।
अ-ईएसआई नियोक्ता भाग- 3.25 प्रतिशत या नियमानुसार प्रचलित दर
ब-पीएफ नियोक्ता भाग 12 प्रतिशत व प्रशासनिक प्रभार 0.05 प्रतिशत या नियमानुसार प्रचलित दर
स-नियमानुसार जीएसटी की राशि राजकोश में संघ के जीएसटी क्रमांक:- **08AAAAS3423N1ZC** में जमा करानी आवश्यक होगी यदि जमा कराई राशि का किसी भी कारण से विभाग से सत्यापित नहीं होती है तो जीएसटी की राशि अगले बिल से कटौति कर ली जावेगी।
4. समस्त ठेका सम्बन्धित कार्य कान्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलेशन) अधिनियम 1970 के अर्न्तगत पूर्णतया अस्थाई व आवश्यक कार्य निष्पादन हेतु है जिनको किसी भी समय कम ज्यादा एवं समाप्त घोषित किया जा सकता है।
5. **सुरक्षा सुपरवाइजर व सहायक सुरक्षा सुपरवाइजर सहित कुल 5 भूतपूर्व सैनिक रेस्को/सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से होने चाहियें।** भूतपूर्व सैनिक होने के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संघ कार्यालय में जमा करवानी होगी। शर्त का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है तथा दैनिक वेतन का भुगतान सुरक्षा गार्ड सिविलियन की तरह होगा।
6. निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी द्वारा किसी सुरक्षाकर्मी को कार्य पर लगाने से पूर्व संघ प्रबन्धन अथवा उनके द्वारा किसी भी मनोनीत अथवा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करना होगा व संघ प्रबन्धन द्वारा इन्हें लगाने की स्वीकृति देने पर ही कार्य पर लगाना होगा। निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि :-
I. कोई भी सुरक्षाकर्मी 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु का ना हो।
II. कोई भी सुरक्षाकर्मी किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं हो।
अगर ठेके की अवधि के बीच में संघ प्रबन्धन किसी सुरक्षाकर्मी को किन्ही कारणों से हटाने का निर्देश ठेकेदार को देता है तो उक्त सुरक्षाकर्मी को तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा। शर्त का उल्लंघन करने पर 500/- रूपयें तक प्रतिदिन जुर्माना किया जा सकता है।
7. सुरक्षा गार्डों के वेतन का भुगतान हर माह की 7 तारीख से पूर्व करना होगा संघ से बिलों का भुगतान होना या ना होना इस हेतु कारण नहीं माना जावेगा। निश्चित तिथि तक वेतन भुगतान नहीं करने की स्थिति में प्रतिदिन रूपयें 1000/- तक का जुर्माना किया जा सकता है व अनुबन्ध निरस्त भी किया जा सकेगा।
8. ठेका समाप्त होने के बाद अन्तिम बिल, धरोहर राशि तथा बैंक गारण्टी का भुगतान सम्बन्धित प्रभारियों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा भविष्य निधि कार्यालय से आनलाईन मैम्बर पास बुक की प्रति प्रस्तुत करने पर देय होगा।
9. संयंत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा समान की प्रविष्टि किया जाना निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।
10. सुरक्षाकर्मी मुख्यद्वार पर संघ में आने जाने वाले कोई भी सामान की जांच करने के बाद ही वाहन को आगे जाने देगा।
11. किसी भी सुरक्षा प्रहरी द्वारा ठेका अवधि का यदि रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में कोई वाद अथवा विवाद किसी स्तर पर श्रम न्यायालय में दायर किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एवं जबाबदारी निविदादाता / सुरक्षा ठेकेदार की होगी। इस सम्बन्ध में श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ का कोई उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी नहीं होगी।



12. यह की निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी द्वारा नियुक्त सुरक्षाकर्मी के कार्य का सुपरविजन,कन्ट्रोल डायरेक्शन,वेतन भुगतान/अन्य देय परिलाभों की जिम्मेदारी सम्बन्धित निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी की होगी।
13. श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ में लगाये गये सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी/डण्डा/ टार्च आदि निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराना होगा तथा प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को प्रत्येक दिन वर्दी में आना होगा। बिना वर्दी सुरक्षाकर्मी को ड्यूटी पर नहीं लिया जावेगा एवं उपरोक्त के उल्लंघन की स्थिति में प्रति सुरक्षाकर्मी रूपयें 250/- प्रतिदिन जुर्माना किया जा सकता है।
14. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा रूपयें 5,00,000/- (रूपयें पांच लाख) की बैंक गारन्टी 30 माह के लिए वैध हो व किसी भी नेशनल बैंक की हो, संघ के नाम पर जमा करवानी होगी। अमानत राशि रूपये 3,00,000/- के समायोजन के पश्चात कुल धरोहर राशि 8,00,000 लाख रूपये होगी। संघ में जमा करवाई गई धरोहर राशि/अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
15. सुरक्षागार्ड श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ परिसर एवं अवशीतन केन्द्रों में सुरक्षा का कार्य श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ द्वारा समय-समय पर दिये गये मापदण्डों के अनुसार एवं कार्य प्रभारी के निर्देशानुसार करेंगे। यदि कोई शिकायत अथवा त्रुटि पायी जाती है तो उसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जावेगी एवं हानि की वसूली अनुबन्धित निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी से की जावेगी।
16. यह है कि डेयरी परिसर में रखी अथवा स्थापित की गई यंत्रों, मशीनरी, भवनों, पेड़ों व वाहनो/(टैंकर, जीप, कार, स्कूटर मोटरसाईकिल,साईकिल आदि) की भी सुरक्षा हेतु ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी तथा उनकी सुरक्षा के कार्य में कोई लापरवाही सहन नहीं की जावेगी। चोरी/नुकसान होने की अवस्था में निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी पर डेयरी प्रशासन के द्वारा प्रचलित दरों के तहत 20 गुणा तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
17. डेयरी में किसी दुर्घटना अथवा हड़ताल आदि में डेयरी तथा आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी मांगे जाने पर उपलब्ध करवाने हेतु सुरक्षा एजेन्सी बाध्य होगी जिसका नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
18. अनुबंधकर्ता द्वारा कार्यआदेश प्राप्त होने के 10 दिवस के अन्दर नियोजित प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का आधार कार्ड एवं निवास का स्थाई पता मय फोटो संघ कार्यालय में जमा करवानी होगी। इसका उल्लघन करने पर 500/- रूपये प्रतिदिन प्रति सुरक्षाकर्मी जुर्माना किया जा सकता है।
19. समय समय पर संघ द्वारा नियमों में परिवर्तन किये जाने पर उन्हें लागू करने हेतु सुरक्षा एजेन्सी बाध्य होगी।
20. सुरक्षा व्यवस्था का समय समय पर प्रभारी पीएण्डए/ प्रभारी दुग्ध अवशीतन केन्द्र द्वारा अवलोकन किया जावेगा। प्रभारी के मांगे जाने पर चाहा गया रिकार्ड उपलब्ध करवाना होगा।
21. सुरक्षाकर्मी निम्नानुसार लगाने होंगे :-
 - a. सुरक्षा सुपरवाइजर (मुख्य संयंत्र).....01
 - b. सहायक सुरक्षा सुपरवाइजर.....04
 - c. सुरक्षाकर्मी मुख्य संयंत्र (तीनो पारी).....22
 - d. सुरक्षाकर्मी :- पीएण्डआई.....03
 - e. सुरक्षाकर्मी :- डेयरी कॉलोनी.....03
 - f. सुरक्षाकर्मी दुग्ध अवशीतन केन्द्र नोहर.....03
 - g. सुरक्षाकर्मी दुग्ध अवशीतन केन्द्र सूरतगढ.....03
 - h. सुरक्षाकर्मी दुग्ध अवशीतन केन्द्र पदमपुर.....03
 - i. सुरक्षाकर्मी दुग्ध अवशीतन केन्द्र घड़साना.....03
 - j. सुरक्षाकर्मी दुग्ध अवशीतन केन्द्र भादरा02
 - k. सुरक्षाकर्मी दुग्ध अवशीतन केन्द्र पल्लु02
 - L. स्ट्रा-डेन्सीफीकेशन एण्ड इन्चिमैन्ट प्लांट.....03

कुल योग- 52

उपरोक्त संख्या अनुमानित है आवश्यकतानुसार संघ द्वारा सुरक्षा कर्मियों की संख्या घटाई एवं बढ़ायी जा सकती है जो निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगी।

22. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ को होगा।
23. सुरक्षा हेतु श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ में लगाये गये सुरक्षाकर्मी निर्धारित संख्या में प्रत्येक दिन ड्यूटी पर भिजवाने होंगे। निर्धारित संख्या में सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा सुपरवाइजर एवं सहायक सुरक्षा सुपरवाइजर उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर न्यूनतम 1000/- रूपयें प्रतिदिन प्रति



- सुरक्षा कर्मों जुर्माना किया जावेगा । सुरक्षाकर्मों ड्यूटी पर सोता/ ऊघंता पाया जाता है तो उसको ड्यूटी से अनुपस्थित मानते हुए वेतन से कटौति की जावेगी एवं जुर्माना भी किया जा सकता है ।
24. यह ठेका स्वीकृत निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है ।
 25. प्रत्येक सुरक्षाकर्मों को साप्ताहिक अवकाश दिया जावेगा। किसी सुरक्षाकर्मों से आठ घण्टे से अधिक ड्यूटी साधारणतया नहीं ली जायेगी । इसका उल्लंघन करने पर कानूनी रूप से निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी स्वयं जिम्मेदार एवं जबाबदार होगा । इसमें श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ की कोई जिम्मेदारी एवं जबाबदारी नहीं होगी । प्रत्येक सुरक्षाकर्मों /सुपरवाइजर को अपनी ड्यूटी पर समयानुसार उपस्थित होना होगा एवं सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी से प्रतिदिन उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रमाणित करवानी होगी ।
 26. निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी को डेयरी परिसर/संयंत्र परिसरों में किसी भी जानवर जैसे कुता, बकरी, गाय इत्यादि का प्रवेश रोकना होगा व उल्लंघन की स्थिति में प्रबन्धन द्वारा 200/- रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित की जा सकती है।
 27. प्रबन्ध संचालक द्वारा किसी भी निविदा शर्तों को हटाने एवं जोड़ने का अधिकार होगा तथा बिना कारण बताए निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक को होगा।
 28. कोई भी सुरक्षाकर्मों संस्था को किसी प्रकार की हानि पहुंचाते अथवा चोरी करते पाये जाने पर हानि/चोरी की राशि का बीस गुणा तक जुर्माना निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी पर दण्डरूप में लगाया जा सकता है ।
 29. यह पाये जाने पर कि किसी भी राज्य एवं देश के कानून का उल्लंघन किया गया है तो निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।
 30. अनुबंधकर्ता का कोई सुरक्षाकर्मों उसकी ड्यूटी के दौरान संघ परिसर अथवा बाहर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। अनुबंधकर्ता को उनके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मों की दुर्घटना बीमा पॉलीसी लेकर पूरी तरह कवर करना होगा। किसी भी अवस्था में अगर अनुबंधकर्ता सुरक्षाकर्मों की दुर्घटना क्लेम राशि अथवा शास्ति राशि न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है तो अनुबंधकर्ता को तुरन्त सम्बन्धित न्यायालय में जमा कराना होगा। किसी भी परिस्थिति में बतौर मुख्य नियोक्ता अनुबंधकर्ता सुरक्षाकर्मों के संबन्ध में क्लेम/शास्ति संघ द्वारा जमा करवाई जाती है तो उस राशि को अनुबंधकर्ता से वसूलने का पूरा अधिकार होगा।
 31. ठेकेदार के बिलों से आयकर अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार टीडीएस की कटौति कर भुगतान देय होगा।
 32. निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी के सुरक्षाकर्मों किसी भी सूत्र में किसी भी अभिप्राय के लिये श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ के कर्मचारी कतई नहीं माने जावेगें । निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा प्रहरियों का नियोक्ता स्वयं निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी होगा एवं सुरक्षा कर्मियों को समस्त वैधानिक भुगतान एवं सुविधायें उपलब्ध करवाने का दायित्व भी स्वयं निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी का ही होगा । श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ इन सब के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा ।
 33. निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी के सुरक्षा कर्मियों को वेतन भुगतान/ ग्रेच्युटी, बोनस अन्य सभी लागू परिलाभों के लिये भुगतान करने की एक मात्र जिम्मेदारी एवं जबाबदारी स्वीकृत निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी की होगी तथा इन सब के लिये श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ की कोई जबाबदारी एवं जिम्मेदारी नहीं होगी । प्रबन्धन द्वारा इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियमों का पालन करते हुए मजदूरों को भुगतान कर दिया है विचारधीन बिल का भुगतान किया जावेगा।
 34. निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी को श्रमिकों की उपस्थिति एवं मजदूरी भुगतान रजिस्टर/स्टेटमेंट तैयार करने होंगे
 - (1) निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी मजदूरी रजिस्टर/स्टेटमेंट की प्रथम प्रति को माह के बिल के साथ प्रस्तुत करेगा।
 - (2) निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी मजदूरी रजिस्टर/स्टेटमेंट की द्वितीय प्रति को भविष्य निधि कार्यालय भेजेगा एवं तृतीय प्रति को स्वयं के रिकार्ड में रखेगा।
 - (3) निविदादाता द्वारा प्रतिदिन संबन्धित प्रभारी से सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति प्रमाणित करानी होगी एवं उसका विवरण प्रभारी पीएंडए को प्रस्तुत करना होगा।
 35. किसी भी शर्त में पूर्ण या आंशिक संशोधन करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक संघ के पास सुरक्षित रहेगा। निविदादाता की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी ।

Sub *10/11/18* *na*

36. पी0एफ0 निरीक्षक एवं ई0एस0आई0 निरीक्षक द्वारा चाहे गये रिकार्ड समय समय पर जांच हेतु प्रस्तुत करने होंगे । इस प्रकार की कोई भी शिकायत को दूर करने का दायित्व निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी स्वयं का होगा ।
37. दुग्ध क्रेटों /कैनो आदि सामान के आने जाने का हिसाब स्वीकृत ठेकेदार को रखना होगा इस हेतु संघ से बाहर जाने व संघ में वापिस आने वाली केन/क्रेट हेतु एक रजिस्टर में इन्द्राज कर रिकार्ड रखना होगा व हर महिने के अन्त में विपणन शाखा में उनका मिलान करना होगा। संयंत्र में क्रेटों का भौतिक सत्यापन प्रतिमाह गठित कमेटी को करवाना होगा तथा भौतिक सत्यापन में संघ में क्रेट कम पाये जाने पर उसकी कीमत की वसूली उसी माह की प्रचलित दर से निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी के बिल से व अन्य बकाया मे से कर ली जावेगी।
38. संघ संयंत्र की उत्पादन शाखा द्वारा दुग्ध उत्पाद सुरक्षा एजेन्सी को संभलवा दिए जाने के बाद उन उत्पादों के डिस्पेच की जिम्मेवारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी। इस हेतु उत्पादन शाखा से प्राप्त उत्पाद, संघ से बाहर जाने वाले उत्पाद एवं शेष उत्पाद हेतु एक रजिस्टर में इन्द्राज कर रिकार्ड रखना होगा व प्रतिदिन उत्पादन शाखा से उनका मिलान करना होगा। भौतिक सत्यापन में उत्पाद कम पाये जाने पर उसकी कीमत की वसूली उसी माह की प्रचलित वितरक दर से की जावेगी।
39. निविदादाता/सुरक्षा एजेन्सी /सुरक्षा प्रभारी को सामान्य सुरक्षा नियमों एवं व्यवस्था की जानकारी होना आवश्यक है ।
40. सभी सुरक्षाकर्मी को मासिक विस्तृत सैलरी स्लीप देनी होगी।
41. सुरक्षा एजेन्सी को अपने द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों को संघ परिसीमा में प्रवेश हेतु उनकी पहचान के लिये संघ प्रबन्धन की अनुमति से बैज/पहचान पत्र प्रदान करने होंगे तथा बैज/पहचान पत्र धारक को ही संघ में प्रवेश दिया जा सकेगा।
42. ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रत्येक सुरक्षाकर्मी, सहायक सुरक्षा अधिकारी व सुरक्षा अधिकारी को परिचय पत्र/नेम प्लेट उपलब्ध करवानी होगी जो प्रभारी पीएंडए द्वारा जांच करने पर दिखानी होगी अन्यथा 500/- रुपये प्रति सुरक्षाकर्मी जुर्माना लगाया जा सकता है।
43. सुरक्षाकर्मी साक्षर होना चाहिए ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

उपरोक्त सभी शर्तें मैंने पूरी तरह पढ़ कर समझ ली है तथा मुझे सभी शर्तें बिना मेरी किसी शर्त के स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम/पूर्ण पता

.....

मोबाईल न0 :



तकनीकी निविदा फार्म (भाग - "अ") के साथ संलग्न करें

अण्डर टैकिंग/शपथ पत्र
(100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी प्रमाणित)

मैं _____ पुत्र श्री _____
उम्र _____ वर्ष, निवासी _____ तहसील _____ जिला _____
_____ (राज0) का हूँ, मैं शपथ पूर्वक यह अधिकार पत्र देता हूँ कि :-

- 1- यह है कि मैं श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ से प्राप्त ठेकों के निमित्त/सम्बन्धित किसी भी प्रकार के एरियर राशि/शास्ति राशि अथवा अन्य कोई देनदारी क्षतिपूर्ति (कम्पनशेसन) निविदा अवधि समाप्ति के उपरान्त भुगतान करना पड़ता है तो संघ द्वारा उक्त राशि मांगने पर तुरन्त जमा करा दूंगा।
- 2- यह है कि संघ को मैं यह अधिकार देता हूँ कि पैरा एक में वर्णित राशि का भुगतान मेरी संघ में जमा प्रतिभूति राशि से जब्त कर प्राप्त कर सकते हैं।
- 3- यह है कि संघ को यह अधिकार देता हूँ कि पैरा एक में वर्णित राशि की वसूली मेरी चल-अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण/बेचान कर सकती है। उक्त प्रक्रिया में मेरे वारिशान की कोई दखलअंदाजी नहीं होगी।

मैं _____ पुत्र श्री _____ उम्र _____
करीब _____ वर्ष, निवासी _____ (राज0) यह शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त पैरा एक से तीन में वर्णित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य हैं तथा मैं अपने होश-हवास में अपनी मर्जी से लिख दे रहा हूँ। परमात्मा मेरी रक्षा करें।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता _____

नाम निविदादाता _____

पता _____

Sub
Sub
Sub

तकनीकी निविदा फार्म (भाग - "अ") के साथ संलग्न करें

काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) व अनुबन्ध निरस्त नहीं होने हेतु प्रोफार्मा
(100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी प्रमाणित)




शपथ-पत्र

मैं निविदादाता सुपुत्र श्री उम्र

..... निवासी यह

शपथपूर्वक सत्यापित (घोषणा) करता हूँ कि मैं/हमारी कम्पनी, केन्द्र/राज्य सरकार या किसी भी संस्थान/समिति द्वारा ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) में नहीं किया गया हूँ/नहीं की गयी तथा मेरे/कम्पनी के द्वारा संघ अथवा राजकीय कार्यालय में कार्य संतोषपूर्ण किया गया है, सिक्योरिटी राशि जब्त नहीं हुई है एवं अनुबन्ध निरस्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा पाया जाता है तो संघ मेरी निविदा निरस्त/अस्वीकृत करने में स्वतन्त्र होगा। इस हेतु मेरी तरफ से कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

तकनीकी निविदा फार्म (भाग – "अ") के साथ संलग्न करें

बाल श्रमिक (निषेध व नियमन) अधिनियम हेतु प्रोफार्मा
(100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी प्रमाणित)



शपथ-पत्र

मैं निविदादाता सुपुत्र श्री उम्र

..... निवासी यह शपथपूर्वक

सत्यापित (घोषणा) करता हूँ कि मैं/हमारी कम्पनी, बाल श्रमिक (निषेध व नियमन) अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना करूंगा एवं उसके लिए उत्तरदायी रहूंगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

 
han

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ जंक्शन

वित्तीय निविदा सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति हेतु

निविदा फॉर्म भाग - "ब" (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

- 01- निविदा सूचना क्रमांक व दिनांक :
- 02- निविदा का नाम : सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति हेतु कार्य ठेका।
- 03- निविदादाता का नाम :
- 04- निविदादाता के पिता का नाम :
- 05- निविदा प्रपत्र खोलने की-
तिथि, समय, स्थान :
- 06- निविदादाता का :-
(अ) स्थाई पत्राचार का पता :
- (ब) टेलिफोन/मोबाईल संख्या :

ठेके पर कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को भुगतान निर्धारित न्यूनतम दरों से करने एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित न्यूनतम दर से भुगतान करने के लिए ठेका अवधि में वचनबद्ध रहूंगा। इसके उल्लंघन पर दस गुणा पैनल्टी लगाने के लिए संघ स्वतन्त्र रहेगा। जो मुझे/हमें स्वीकार है। मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में यदि किसी ठेका सुरक्षा कर्मी ने कोई विवाद किया तो उसमें सक्षम न्यायालय-न्यायाधिकरण द्वारा जो भी निर्णय किया जायेगा, उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा। संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। राज्य सरकार की न्यूनतम मजदूरी नियमों के आधार पर एवं संघ द्वारा निर्धारित दरें (नियोक्ता व ठेका श्रमिक की पी० एफ०, ई० एस० आई० अंशदान सहित) प्रति कार्य दिवस देय होगी।

संलग्न निविदा शर्तों व उपरोक्त विवरणानुसार 02 वर्ष की अवधि के लिए अनुबन्ध करने के लिए सहमत हूँ।

S. No.	Particular	Unit (%)	Service Charge (%)	GST (%)	Net Charge (%)	Figure (%)
			(A)	(B)	(A)+(B)	
01	SUPPLY OF SECURITY SUPERVISOR/ GUARDS	%		18.00		

[Handwritten signatures and marks]